

क्रमांक: प.4(3)साप्र/5/2023-01205

जयपुर, दिनांक:

—:: आज्ञा ::—

न्यू ट्रांजिट हॉस्टल, गाँधीनगर, जयपुर स्थित आवासों का आवंटन इस विभाग के दिशा निर्देश क्रमांक प.7(2)साप्र/5/2006 दिनांक 27.10.2006 व आदेश दिनांक 12.10.2018 एवं विभागीय पत्र क्रमांक प.4(3)साप्र/5/2016 दिनांक 16.03.2016 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित आवास **एक वर्ष की अवधि के लिए या नियमित आवास उपलब्ध होने तक, जो भी पूर्व हो, तक के लिए** निम्नांकित शर्तों पर अस्थाई रूप से आवंटन किया जाता है:—

1. आवंटित आवास अस्थाई प्रकृति का आवास है, जिसका कब्जा एक सप्ताह में प्राप्त करना होगा।
2. संबंधित अधिकारी को नियमानुसार मकान किराया भत्ता देय नहीं होगा।
3. संबंधित अधिकारी से आवास के पेटे नियमानुसार किराया राशि की अग्रिम वसूली प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर द्वारा की जावेगी।
4. संबंधित अधिकारी के विरुद्ध ट्रांजिट हॉस्टल/बजाजनगर अपार्टमेन्ट, जयपुर की पूर्व की कोई राशि बकाया हो, तो कब्जा देने से पूर्व वसूल कर ली जावे।
5. संबंधित अधिकारी को मूल वेतन प्रमाण-पत्र प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, गाँधीनगर को प्रस्तुत करना होगा।
6. स्थानान्तरण/सेवानिवृत्ति की सूचना संबंधित अधिकारी द्वारा प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर को तुरन्त दी जाएगी तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह में आवास रिक्त करना होगा।
7. आवंटि को सम्पत्ति विवरण घोषणा-पत्र, गत भुतगान प्रमाण-पत्र, जो आहरण वितरण अधिकारी से प्रमाणित हो, उपलब्ध कराना होगा।
8. समय-समय पर इस विभाग द्वारा निर्धारित अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

क्र.सं.	अधिकारी का नाम व पदनाम	पे-लेवल	वरियता संख्या	सेवानिवृत्ति तिथि	आवंटित आवास संख्या
1	श्री मृणाल कुमार, प्रशिक्षु IAS, कार्यालय जिला कलक्ट्रेट — जयपुर (8756867879)	L-10 (Fix pay-56100/-)	06/2025	31-03-2058	G 2/1, New Transit Hostel

राज्यपाल की आज्ञा से,

(दाताराम)

संयुक्त शासन सचिव

Signature valid



Digitally signed by Dataram
Designation : Joint Secretary
Date: 2025.06.11 12:23:01 IST
Reason: Approved



प्रतिलिपित निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित अधिकारी को भेजकर लेख है कि उनको आवंटित आवास का कब्जा एक सप्ताह में प्राप्त कर कार्यालय, प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर को अवगत करावें। निर्धारित तिथि के पश्चात् रिक्त आवास को अन्य प्रतीक्षारत अधिकारी को आवंटित कर दिया जावेगा।
2. प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, गौधीनगर, जयपुर- कृपया आवास का कब्जा देने से पूर्व विभागाध्यक्ष द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त करें कि आवंटी आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से अब तक उनके विभाग में जयपुर शहर में ही पदस्थापित है तथा आवंटी से सम्पत्ति विवरण घोषणा-पत्र, गत भुगतान प्रमाण-पत्र, जो आहरण वितरण अधिकारी से प्रमाणित हो, प्राप्त करे एवं रिक्त करते समय कटौती हेतु जीए-55 प्राप्त कर जाँच करना सुनिश्चित करें।
3. संबंधित विभागाध्यक्ष.....।
4. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
5. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग- आवंटी को वरीयतानुसार नियमित राजकीय आवास आवंटित करवाकर अवगत करावें।
6. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग-को आवंटन आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

पता- कक्ष संख्या-1124, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर
संपर्क:- 0141-25229 (Joint Secy), 0141-25040 (Asst. Secy.)
मेल आई.डी.- ASGAD5@RAJASTHAN.GOV.IN
Website: <https://gad.rajasthan.gov.in>

Signature valid

Digitally signed by Dataram
Designation : Joint Secretary
Date: 2025.06.14 12:23:01 IST
Reason: Approved

